

734

33

कमिश्नर शहडोल  
म शहडोल (म.प्र.)

17 SEP 2012

रीडर-1

शाखा 243  
अधीक्षक कमिश्नर



CF 20/-

R-23-II/13

संतोष कुमार कोरी

कमलेश कुमार कोरी दोनों माता स्व० उन्जीबाई कोरी पिता महादेव कोरी  
निवासी-ग्राम दमोय तहसील मानपुर, थाना इंदवार, जिला-उमरिया म०प्र०  
---निगरानीकर्तागण

734  
9-11-12

बलाग

R-23-II/13

गंगीबाई पुत्री मरछी बाई उर्फ मरछी कोरी निवासी- ग्राम दमोय तहसील  
मानपुर, थाना इंदवार, जिला-उमरिया म०प्र०  
---गैर निगराकार

श्री. एस. डी. ...  
आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

20/9/2012  
अधीक्षक

कार्यालय कमिश्नर  
शहडोल संभाग

दिनांक 22-11-12  
अधीक्षक

निगरानी विलम्ब अनुविभागीय  
अधिकारी मानपुर जिला-उमरिया  
म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक  
31/अपील/2010-11 अंतरिम आदेश  
दिनांक 23.08.2012 को निरस्त  
करा जाने बावत्

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० मू. राजस्व  
संहिता 1959

मान्यवर,

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य निम्न हैं :-

यहकि ग्राम दमोय, पटवारी हल्का दमोय तहसील मानपुर  
जिला-उमरिया म०प्र० स्थित आराजी खसरा नं. 87/2 रकबा 0.016 हेक्टेयर,  
खसरा नं. 444/5 रकबा 0.320 हेक्टेयर, खसरा नं. 432 रकबा 0.056 हेक्टेयर,  
खसरा नं. 1115 रकबा 0.036 हेक्टेयर भूमि मरछी (मरछीबाई) पिता पंछी कोरी  
के मूमिस्वामित्व एवं कब्जेदखल की आराजी थी। मरछीबाई का विवाह महादेव  
कोरी निवासी-रामनगर वाले से सम्पन्न हुआ था जिससे ससर्ग से एक मात्र  
पुत्री गैर निगराकार गंगी का जन्म हुआ था । मरछी के कोई पुत्र संतान नहीं  
थे जिस पर अपने पति महादेव कोरी को दूसरा विवाह करने हेतु विवश किया।  
महादेव कोरी के द्वारा मरछी बाई की रजामन्दी से निगराकार की माता

श्री. लोका...

कमलेश कोरी



Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 23-दो/2013

जिला - उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-2-2016	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2013 से ग्राह्यता पर लंबित है। आवेदक को गई बार सूचना जारी की गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण प्रस्तुत हुये लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। आज भी आवेदक एवं उनके अभिभाषक को समय-समय पर पुकार लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण में रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>